आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Sports Department, Government of Uttarakhand

Mukhyamantri Udiyaman Khiladi Unnayan Chhatravritti Yojana (Chief Minister Emerging Player Development Scholarship, Uttarakhand)

उत्तराखंड 8 से 14 साल के युवा खिलाड़ियों को, जो हर जनपद में शारीरिक दक्षता परीक्षण से चुने जाते हैं, एक साल तक मासिक खेल छात्रवृत्ति देता है।

क्या मिल सकता है

हर साल हर जनपद में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी-सैट) से चुने गए तय संख्या के बालक-बालिकाओं को एक साल तक मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। रकम सीधे खिलाड़ी के बैंक खाते में जाती है।

किसके लिए है

8 से 14 वर्ष के उत्तराखंड के स्थायी निवासी बालक-बालिकाएं, जो पी-सैट के चरणों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

मुख्य शर्तें

- बच्चा 8 से 14 वर्ष की आयु का और उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो
- बच्चे का न्याय पंचायत या वार्ड स्तर पर पंजीकरण हो और वह पी-सैट के चरणों में भाग ले, जिनमें ताकत, लचीलापन, सहनशक्ति, गति और तालमेल परखे जाते हैं
- बच्चा आयुवर्ग की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वालों में हो

दस्तावेज़

- खेल विभाग की वेबसाइट से पंजीकरण फॉर्म
- आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें

1. खेल निदेशालय का विज्ञापन देखें, जो सामान्यतः अप्रैल में निकलता है, और विभाग की वेबसाइट के फॉर्म से न्याय पंचायत या वार्ड स्तर पर पंजीकरण कराएं।
2. हर विद्यालय हर आयुवर्ग में अधिकतम दो बालक और दो बालिकाएं भेज सकता है। फिर विकासखंड और जनपद स्तर के चरण होते हैं, जो आमतौर पर 15 मई से 15 जून के बीच पूरे होते हैं।
3. जनपद स्तरीय चयन समिति अंतिम सूची जारी करती है और छात्रवृत्ति डीबीटी से बैंक खाते में आती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=110
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-mukhyamantri-udiyaman-khiladi-unnayan-chhatravritti/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।